

	(ख) द्वारा स्थापित किसी फेरी या इसके प्रबंधन के अंतर्गत प्राप्त टोल; (ग) वाहनों के पंजीकरण पर फीस; (घ) पूजा स्थलों या तीर्थस्थानों, मेलों में साफ-सफाई का प्रबंध कराने हेतु, फीस; (ङ) मेला या मार्केट के लिए लाइसेंस फीस; (च) जल दर, जहाँ द्वीप परिषद द्वारा क्षेत्राधिकार के भीतर पेयजल, सिंचाई सुविधा या किसी अन्य प्रयोजन हेतु जलापूर्ति की व्यवस्था की जाती है; (छ) लाइटिंग रेट, जहाँ द्वीप परिषद द्वारा क्षेत्राधिकार के भीतर पब्लिक स्ट्रीटों तथा स्थानों को रोशनाई करने की व्यवस्था की जाती है । बशर्ते कि द्वीप परिषद द्वारा वाहनों का पंजीकरण न करें और इसके लिए फीस की उगाही न करें और पूजा स्थलों, तीर्थस्थानों, मेलों में साफ-सफाई की व्यवस्था न करें या इसके लिए फीस की उगाही न करें यदि ऐसे वाहनों को तत्समय के लिए लागू किसी विधि के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पहले ही पंजीकृत कर दिया गया है या यदि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु पहले ही प्रावधान रखा गया है । बशर्ते कि इसके लिए लगाई जाने वाली टोल्स का पैमाना, फीस अथवा दर तथा निबंधन एवं शर्त वहीं होंगे जैसा कि उप-नियमों में प्रावधान रखा जाएगा और ऐसे उप-नियमों में सभी अथवा किसी भी टोल्स, किसी भी प्रकार के मामलों की फीस अथवा दर में छूट दिए जाने का प्रावधान रखा जा सकेगा ।	
	76. प्रशासक, इस शर्त पर कि यदि वह ठीक समझे, द्वीप परिषद को सामान्य प्रयोजनों अथवा द्वीप परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की सुधार हेतु तथा वहाँ के निवासियों के कल्याण हेतु द्वीप परिषद को अनुदान दे सकता है ।	सामान्य प्रयोजनों के लिए अनुदान
	77. (1) प्रशासक, यदि वह ठीक समझे, द्वीप परिषद के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार के किसी भी सम्पत्ति को द्वीप परिषद के निर्देश, प्रबंधन एवं नियंत्रण से रख सकेगा, अर्थात्: (क) खुला स्थल, बंजर भूमि, खाली पड़ी भूमि तथा चरागाह भूमि जो निजी सम्पत्ति नहीं है तथा नदी तल; (ख) सार्वजनिक सड़कें तथा गलियाँ;	द्वीप परिषद को किसी कार्य अथवा संस्थान का हस्तांतरण